



Neutral Citation No.-2026:AHC:8915

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-1573 वर्ष 2025

महिपाल उर्फ अल्लू ..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अंजनी कुमार रघुवंशी, सुजान सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, कपिल त्यागी

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुजान सिंह, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री कपिल त्यागी, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वीकेएस परमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2021 के केस अपराध संख्या-36 से उत्पन्न 2022 के सत्र विचारण संख्या-565 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 सपठित धारा 147, 148, 149, 302, 307, 504 भ०द०वि० के तहत दायर किया गया है, थाना-बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर, ज़िला: गौतम बुद्ध नगर में उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ।
4. आवेदक की ओर से यह दूसरी ज़मानत याचिका है। आवेदक के पहले ज़मानत आवेदन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 13.7.2022 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जो आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-25180 वर्ष 2022 में पारित किया गया था।
5. सूचनाकर्ता ने दिनांक 13.7.2022 के उक्त आदेश को चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एस.एल.पी. दायर की, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 5.1.2023 के अपने आदेश के माध्यम से 2022 की उक्त एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 7947 की अनुमति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दी, जिसमें कहा गया था कि आवेदक का नाम बाद में सामने आया है, इस प्रकार, उच्च न्यायालय को आवेदक को जमानत नहीं देनी चाहिए थी और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था: -

*"अनुमति दी गई।"*

अपीलकर्ता, आरोपी प्रतिपक्षी और राज्य की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता को सुना।

अपीलकर्ता एक अपराध का सूचनाकर्ता है, जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की हत्या हुई थी, जो 9 फरवरी 2021 को हुई थी। प्रतिपक्षी संख्या-2 कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ इसी मामले में आरोपी है और उसे 11 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय, आरोप है कि आरोपी के रूप में आरोपित समूह के सदस्यों ने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी थी। इस संबंध में एक स्वतंत्र प्राथमिकी दर्ज की गई है। अपीलकर्ता ने 13 जुलाई 2022 को उपरोक्त आरोपी को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताई। उन्हें जमानत देने का एक मुख्य कारण यह था कि उनका नाम प्राथमिकी में नहीं था। दूसरा आधार जो उक्त आरोपी को जमानत पर बढ़ाने में उच्च न्यायालय के साथ तौला गया प्रतीत होता है, वह यह है कि घायल गवाह ने उसका नाम नहीं लिया था। उक्त दो व्यक्तियों की हत्या के बाद, बयान दर्ज किए जाने के बाद एक घायल गवाह की भी 16 दिसंबर 2021 को हत्या कर दी गई थी।

प्रतिपक्षी संख्या-2 को सात अन्य व्यक्तियों के साथ आरोपी के रूप में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। इस प्रकृति के एक मामले में, इस आधार पर कि प्रतिपक्षी-अभियुक्त का नाम प्राथमिकी में नहीं था और उसे एक घायल गवाह द्वारा नामित नहीं किया गया था, हमारी राय में, जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। प्रतिपक्षी-अभियुक्त को औपचारिक रूप से सुनवाई शुरू होने से पहले उसकी गिरफ्तारी के 1 साल और 5 महीने के भीतर जमानत पर रिहा कर दिया गया था। यह अपराध गंभीर और गंभीर प्रकृति का है। अपराध करने का तरीका और उसके बाद की घटनाएं जो हमने ऊपर बताई हैं, वह वारंट है कि उक्त आरोपी हिरासत में रहता है।

ऐसी परिस्थितियों में, हम इस अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर देते हैं, सिवाय उस हिस्से को जिसमें मुकदमे को यथासंभव शीघ्रता से समाप्त करने का निर्देश दिया गया है, अधिमानतः दो साल की अवधि के भीतर। हम प्रतिपक्षी संख्या-2 को सात दिनों के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हैं। इस तरह के आत्मसमर्पण



पर, उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो जांच एजेंसी उसे गिरफ्तार करेगी और उसे क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष पेश करेगी।

जहां तक मुकदमे को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश का संबंध है, हम आदेश के उस हिस्से को बरकरार रखते हैं और आगे निर्देश देते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 309 की शर्तों का पालन करते हुए विचारण दिन-प्रतिदिन के आधार पर किया जा सकता है।

उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा।

#### आवेदक की ओर से तर्क:

6. एक नए आधार के रूप में, आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पहले से ही पूरे हो चुके हैं और मामला धारा 313 द०प्र०स० के तहत आरोपी के बयान के लिए तय किया गया है, इस प्रकार, उसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।

7. आवेदक के भागने का जोखिम नहीं है क्योंकि वह पहले भी जमानत पर था और उसने उक्त अवसर का दुरुपयोग नहीं किया।

8. मुख्य विवाद एक नरेंद्र के साथ था, जिसकी जांच अ०सा०-3 के रूप में की गई थी, लेकिन आवेदक या किसी भी आरोपी व्यक्ति ने हत्या नहीं की थी या उक्त विवाद में उस पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया था, जिसका अर्थ है कि यह झूठे निहितार्थ का मामला है।

9. मृतक व्यक्ति का शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने कहा है कि मृतक व्यक्ति ने केवल अपने शरीर पर अंडरवियर पहना हुआ था, जो इंगित करता है कि उसका कुछ उपचार किया गया था, लेकिन उनके खून से सने कपड़े विवेचनाधिकारी द्वारा कब्जे में नहीं लिए गए थे।

10. यहां तक कि आवेदक की गिरफ्तारी भी विवादित है, जो रहस्यमय परिस्थितियों में है।

11. आवेदक को प्राथमिकी में नामित नहीं किया गया था, बल्कि प्राथमिकी में केवल "भोपाल के भाई" का उल्लेख किया गया था। भोपाल के चार भाई हैं और आवेदक उनमें से एक है, लेकिन उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।



12. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अनुसार कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की जाती है।

13. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 11.1.2021 से जेल में है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

**राज्य/प्रतिपक्षी की ओर से तर्क:**

14. जमानत आवेदन का इस आधार पर जोरदार विरोध किया गया है कि आवेदक का जमानत आदेश दिनांक 13.7.2022 गुण-दोष के आधार पर था क्योंकि यह आदेश 28.6.2022 को आरक्षित था और आदेश 13.7.2022 को पारित किया गया था और यह 08 पृष्ठों का था, जिसके तहत उक्त आदेश में प्रत्येक पहलू पर चर्चा की गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।

15. तीन घायल व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों ने थोड़े समय के भीतर तुरंत चोटों के कारण दम तोड़ दिया और एक व्यक्ति बच गया, लेकिन मुकदमे के दौरान अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया।

16. मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, जैसे, आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

**निष्कर्ष:**

17. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य INSC 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी साबित हो सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

18. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, मुझे आवेदक को जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता।

19. जमानत आवेदन योग्यता से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।



20. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702 के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्र निर्णय लिया जाए।

21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

जनवरी 13, 2026

विकास वर्मा